

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 संविदा (शेखपुरा) - 21/2022... 1/208 पटना, दिनांक:- 11/05/2023

आदेश

दिनांक-27.02.2023 को निदेशालय मुख्यालय स्तर से बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा के अर्न्तगत शिविर अरियरी-02 का जूम बैठक के माध्यम से समीक्षा की गयी। समीक्षोरान्त पाया गया कि श्री राहुल पाण्डेय (Emp.ID-ASO00129), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को आवंटित शिविर का प्रदर्शन अपेक्षाकृत प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण इनसे कार्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। संबंधित कर्मी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोरान्त पाया गया कि इनके स्पष्टीकरण में उठाये गए तथ्य तथा पुनः दिनांक-28.03.2023 को जूम बैठक में इनके शिविर के सर्वेक्षण कार्य समीक्षा की गयी। समीक्षोरान्त श्री पाण्डेय द्वारा अपने आवंटित शिविर का सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की गई है, परन्तु अपेक्षाकृत संतोषप्रद नहीं है। अतएव सर्वेक्षण कार्य का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप अपने कार्यों में और प्रगति लाने के साथ-साथ अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

अतः सर्वेक्षण कार्य में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के दृष्टिगत श्री राहुल पाण्डेय (Emp.ID-ASO00129), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है।

(जय सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 संविदा (शेखपुरा) - 21/2022... 4/208 पटना, दिनांक : 11/05/2023
प्रतिलिपि :- श्री राहुल पाण्डेय (Emp.ID-ASO00129), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 संविदा (शेखपुरा) - 21/2022... 4/208 पटना, दिनांक : 11/05/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 संविदा (शेखपुरा) - 21/2022... 4/208 पटना, दिनांक : 11/05/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अंतर्गत संधारित व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण